तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्री पप्पूलाल सैनी बनाम श्री कल्याण सैनी** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022 / 537**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.01.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से पक्षकारान के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवारा हुआ है जिसके सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने से अपीलार्थी की अपील पर न्यायालय हाजा के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील पर न्यायालय हाजा के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही संभव नही होने से अधिवक्ता अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु वापस लौटाई जावें तथा न्यायालय हाजा की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 4/1/23 (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	3/2/23